न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 16/16 उपनिवेशन विविध

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 मु. बज्जु

—प्रार्थी

: ब ना म :

तुलछाराम पुत्र सादुलाराम जाट साकिन केडली तह. नोखा जिला बीकानेर

—अप्रार्थीगण

उपस्थितिः—

1. स्टेट की ओर से उनके विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित ।
2. अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री नरसाराम जाखड़ उपस्थित।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 23.07.19

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 मु. बज्जु ने यह प्रकरण दिनांक 29.10.12 को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.3 में चक 2 एमडबल्यूएम में मु.नं. 176/62 की 18.08 बीघा कमाण्ड व 5.17 बीघा अनकमाण्ड कुल 24.05 बीघा भूमि भू.पू. सैनिक तुलछाराम पुत्र सादुलाराम जाट साकिन केडली तह. नोखा जिला बीकानेर को आवंटित की गयी। भूमि नियम विरूद्ध आवंटित होने के कारण आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

2. अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री नरसाराम जाखड़ अधिवक्ता उपस्थित हुए। तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गयीं।

3. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि आवंटन अधिकारी एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर अप्रार्थी को दिनांक 04.06.2007 को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम, 1975 के अन्तर्गत उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 3 के चक 2 एमडबल्यूएम के मु.नं. 176/62 की 18.08 बीघा कमाण्ड व 5.17 बीघा अनकमाण्ड कुल 24.05 बीघा भूमि आवंटन की गयी। आवंटित भूमि विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना विनिमय में आवंटन किया गया। पत्रावली के संलग्न आवंटन पर्ची में आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं है। इससे यह प्रकट होता है कि आवंटन पर्ची में हेराफेरी की गई है। अतः प्रार्थना पत्र नियम 22(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवंटन निरस्त फरमावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता की बहस है कि अप्रार्थी को भूतपूर्व सैनिक होने के नाते आवंटन अधिकारी द्वारा विधि पूर्वक दिनांक 4.06.2007 को उपरोक्त भूमि आवंटित की गयी थी। आवंटन तिथि से मौके पर अप्रार्थी की कब्जा काश्त है। आवंटित भूमि की संपूर्ण राशि जमा करवायी जा चुकी है। आवंटन पर्ची में आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं होना अप्रार्थी का दोष नहीं है। यह कार्यालय की गलती है। अप्रार्थी को रकबा आवंटन सलाहकार समिति की राय से ही किया गया है जिस पर उसका आज दिनांक तक निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्टेट खारिज फरमाया जावे।

5. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 22(3) के संबंध में कोई उल्लंधन तो नहीं हुआ है तथा अप्रार्थीगण को भूमि आवंटन की सत्यता/प्रमाणिकता के संबंध में हम प्रकरण में विस्तृत जांच करवायी जाना न्यायोचित समझते है।

6. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए लैण्डहोल्डर तहसीलदार(रा) बज्जु को निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित सुनवाई व साक्ष्य/ सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए जांच करे और यदि प्रकरण में नियम 22(3) अथवा अन्य प्रावधानों का उल्लंधन हुआ है तो बिना विलम्ब के नियमानुसार सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें।

7. निर्णय आज दिनांक **23.07.19** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,
बीकानेर.

जिला कलक्टर, बीकानेर